मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 (चैत्र 4, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 99 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. धन्यवाद ज्ञापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा जबलपुर जिले को औद्योगिक दृष्टि से "C-श्रेणी" में घोषित किये जाने पर श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सर्वश्री अजय विश्नोई, शरद जैन, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण द्वारा भी आभार व्यक्त किया गया।

3. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री राजवर्धन दत्तीगांव, सदस्य ने ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 7 की राशन दुकानों पर भ्रष्टाचार होने तथा

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य ने अशोक नगर में पिपरई के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008 पटल पर रखे।

5. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने अपनी तथा अपने परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 8 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले में अनेक हत्याओं के अपराधी गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. सूचना

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा सदन को सूचना दी गई कि ईनामी डाकू, राधे पटेल को जिला छतरपुर में जनता के सहयोग से मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है।

8. स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राकेश सिंह, माननीय सांसद, जबलपुर की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से उल्लेख किया गया।

9. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले की कृषि उपमंडी अमरवाड़ा को स्वतंत्र मंडी का दर्जा न दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह तथा कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्यगण ने छतरपुर जिले के बक्सवाहा की नव निर्वाचित जनपद अध्यक्ष को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री विश्वेश्वर भगत, प्रदीप अमृतलाल जायसवाल तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने बालाघाट जिले में मैग्नीज का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री लक्ष्मण तिवारी तथा अभय कुमार मिश्रा, सदस्यगण ने बाणसागर परियोजना के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों के माध्यम से अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के करेली में रेल्वे अण्डर ब्रिज न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, जसवंत सिंह हाड़ा, यशपाल सिंह सिसोदिया, प्रताप अग्रवाल तथा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्यगण ने धार जिले के अमझेरा में अमर शहीद की प्रतिमा को तोड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री संतोष जोशी, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में चंदन वृक्षों के संरक्षण की नीति न बनाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

11. कार्यक्रम-सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सदन के भोजनावकाश के समय विधान सभा भवन स्थित ऑडिटोरियम में राज्य स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश एवं लेप्रा सोसायटी मध्यप्रदेश द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम एवं बिटिया केम्पेन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

(अपराह्न 1.05 से 2.38 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

12. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए क्रमशः ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह तथा पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं उतने ही उम्मीदवार शेष हैं। अतः उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :-

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री गिरिजाशंकर शर्मा
2. डॉ. गोविन्द सिंह
3. श्री ताराचंद बावरिया
4. डॉ. निशिथ पटेल
5. श्री मोती कश्यप
6. श्री लक्ष्मण तिवारी
7. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
8. श्री शंकरलाल तिवारी
9. श्री शरद जैन "एडवोकेट"
10. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
11. श्री ज्ञान सिंह

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अंतर सिंह आर्य
2. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
3. श्री अल्केश आर्य
4. श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
5. श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
6. श्री गिरीश गौतम
7. श्री दीपक कैलाश जोशी
8. श्रीमती नीता पटेरिया
9. श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल "गुड्डा"
10. श्री रामनिवास रावत
11. श्री रामलखन सिंह

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अभय कुमार मिश्रा
2. श्री केदारनाथ शुक्ला
3. श्री तुलसीराम सिलावट
4. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.)
5. श्री बृजमोहन धूत
6. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
7. श्री यादवेन्द्र सिंह
8. श्री राकेश शुक्ला
9. श्री राजकुमार उरमलिया
10. श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
11. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी

श्री केदारनाथ शुक्ला, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री रामदयाल अहिरवार
2. श्री कुंवर सिंह टेकाम
3. श्री जुगुल किशोर
4. श्री दिलीप जायसवाल
5. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
6. डॉ. प्रभुराम चौधरी
7. श्री बालाराम बच्चन
8. श्री बिसाहूलाल सिंह
9. सुश्री मीना सिंह माण्डवे
10. श्री राधेलाल बघेल
11. श्री रामखेलावन पटेल
12. श्री रामचरित्र
13. श्री रामराव कवड़ेती
14. श्री रामलल्लू वैश्य
15. श्री संजय शाह मकड़ाई

श्री जुगुल किशोर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, द्वारा सदन के विचारार्थ प्रस्तुत "मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010" के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि आतंकवाद केन्द्र से संबंधित विषय है, इसका संबंध राज्य से नहीं है। अतः संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को ही है। उन्होंने अपने कथन के पक्ष में संविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा गृह मंत्रालय के पत्र आदि का उल्लेख किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करके, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखकर नागरिकों को सुरक्षा देना, राज्य का कर्तव्य है। अतः कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कानून व्यवस्था, संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण प्रस्तुत विधेयक को लाना, राज्य सरकार का कर्तव्य है। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त यह विधेयक महाराष्ट्र, गुजरात, एवं राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु राज्य शासन का उत्तरदायित्व एवं अधिकार है, अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर न केवल आसंदी के नाते, बल्कि एक विधायक एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी इस पर विचार करना हम सबका दायित्व है। केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्यों से इस संबंध में सख्त कानून बनाने के लिए, संयुक्त प्रयास कर सहयोग का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत विधेयक "मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010" का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य सूची के पद 1 एवं 64 तथा समवर्ती सूची के पद 1, 2 एवं 12 के अंतर्गत आता है जिसे राज्य विधान मण्डल अधिनियमित करने हेतु सक्षम है। यह सुस्पष्ट है कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां आती है-संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इनमें सम्मिलित सम्पूर्ण विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार क्रमशः संसद, राज्य विधान मण्डल एवं संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों को है।

इस दृष्टि से, राज्य विधान मण्डल (मध्यप्रदेश विधान सभा) इस कानून को अधिनियमित करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। अतः माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अमान्य किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

प्रस्तुत विधेयक पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री पारस दादा सकलेचा
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री आरिफ अकील
(8) श्री मदन कुशवाह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 34 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) पारित किया जाय।

विपक्ष के सदस्यगण द्वारा मत विभाजन की मांग की गई। मत विभाजन में प्रस्ताव के पक्ष में 61 मत एवं विपक्ष में 26 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा विधेयक के विरोध में, प्रतियां फाड़कर नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

15. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू"

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(7) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(2) श्री केदारनाथ शुक्ला

(3) श्री पारस दादा सकलेचा

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

(2) श्री पारस दादा सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(10) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) श्री शैलेन्द्र जैन
(3) श्री पारस दादा सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 6.37 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 (चैत्र 5, 1932) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 मार्च, 2010